इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 108] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी 2018—माघ 24, शक 1939

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2018

क्रमांक. एफ-19-3-2017-बारह-1.- खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 3 में, खण्ड (एक) में, शब्द "परन्तु भट्ठों में निर्माण क्रिया द्वारा या यांत्रिक साधनों द्वारा नहीं" का लोप किया जाए।

2. नियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"6-क. अनुसूची - पांच में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति एवं उत्खननपट्टा.-

(1) अनुसूची - पांच में, विनिर्दिष्ट खनिजों की खनि रियायत, उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रकरणों को छोड़कर, विहित प्रकिया से नीलामी द्वारा आबंटित की जाएगी।

(2) अनुसूची - पांच में, विनिर्दिष्ट खनिजों के प्रकरणों का निराकरण निम्नानुसार किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) जहां इन खनिजों के लिए दिनांक 12.01.2015 के पूर्व आवीक्षी अनुज्ञा पत्र अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत होकर निष्पादित हुई है, वहां अनुज्ञा पत्र धारक अथवा अनुज्ञप्ति धारक को, यथास्थिति पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात् उत्खननपट्टा या उस भूमि में उस खनिज के संबंध में उत्खननपट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि यथास्थिति अनुज्ञा पत्र धारक या अनुज्ञप्ति धारक ने,-

(एक) उस भूमि में खनिज विद्यमान होने को साबित करने के लिए उसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र विन्यास वर्गीकरण (यू.एन.एफ.सी) की न्यूनतम श्रेणी 334 के अंतर्गत अनुज्ञा में अथवा न्यूनतम श्रेणी 332 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति में यथास्थिति, आवीक्षी संक्रियाएं या पूर्वेक्षण संक्रियाएं की गई हैं।

(दो) तत्समय प्रचलित खनि रियायत नियम, 1960 अथवा लागू अन्य नियमों के निबंधनों और शर्तो को भंग नहीं किया है।

(तीन) अधिनियम के उपबंधों के अधीन मुख्य खनिज के रूप में दिनांक 12.01.2015 को या इसके पूर्व अपात्र नहीं हो गया हो।

(चार) यथास्थिति, अनुज्ञापत्रधारी अथवा अनुज्ञप्तिधारी,-

(क) जिनकी, दिनांक 10.05.2014 के पूर्व स्वीकृत आवीक्षी अनुज्ञापत्र अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की कालावधि समाप्त हो गई है, परन्तु उन्होंने 10.05.2014 तक, यथास्थिति पूर्वेक्षण या खननपट्टा का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसे अनुज्ञाधारी अथवा अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अपात्र समझे जाएंगे;

(ख) जिनकी आवीक्षी अनुज्ञप्ति अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की कालावधि दिनांक 10.05.2014 के पश्चात् इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख तक समाप्त हुई है, वह अधिसूचना की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर यथास्थिति पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा उत्खनिपट्‌टा आवेदन प्रस्तुत करने में असफल न रहा हो।

(ग) जिन्होंने दिनांक 09.02.2015 तक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खननपट्टा के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं;

(घ) यथास्थिति, जिनके आवीक्षी अनुज्ञापत्र अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की कालावधि अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् समाप्त हुई है और वह तीन माह की कालावधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने में असफल न रहे हों।

(ङ) खनन पट्टा हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.01.2015 को या इसके पूर्व जारी किए गए आशय पत्रों की शर्तों के अनुपालन के पश्चात् उत्खननपट्टा दिनांक 31.07.2019 तक स्वीकृत किए जाएंगे। इस दिनांक के पश्चात्, ऐसे समस्त आवेदन स्वमेव अपात्र समझे जाएंगें।

(3) ऐसे आवेदक जिनके द्वारा खनन पट्टा के लिए उप-नियम (2) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (चार) की मद (ग) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा उप–नियम (2) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन) के अंतर्गत पात्र पाया जाता है, तो राज्य सरकार, उत्खनन पट्टा प्रदान करने के पक्ष में इस आशय का पत्र जारी करेगी। आशय के पत्र में विहित शर्तों का अनुपालन करने के पश्चात्, उत्खनन पट्टे के लिए मंजूरी आदेश जारी किया जाएगा।

(4) उत्खनन पट्टा के लिए आवेदन उप–नियम (2) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (चार) की मद (ख) या मद (घ) के अधीन प्ररूप–एक में प्रस्तुत किया जाएगा तथा यदि उप–नियम (2) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन) के अधीन पात्र पाया जाता है, तो राज्य सरकार, आवेदक के पक्ष में उत्खनन पट्टा प्रदान करने के आशय का पत्र जारी करेगी। आशय पत्र में विहित शर्तो का अनुपालन करने के पश्चात्, उत्खनन पट्टों के लिए मंजूरी आदेश जारी किया जाएगा।

(5) ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन उप–नियम (2) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (चार) के मद (ग) के अधीन प्रस्तुत किया गया है तथा यदि उप–नियम (2) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन) के अधीन पात्र पाए जाते हैं, तो राज्य सरकार, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए मंजूरी आदेश जारी करेगी।

(6) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन उप–नियम (2) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (चार) की मद (ख) या (घ) के अधीन प्ररूप बाईस (क) में प्रस्तुत किया जाएगा और यदि यह उप–नियम (2) खण्ड (क) के उप–खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन) के अधीन पात्र पाया जाता है, तो राज्य सरकार, आवेदक के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति मंजूरी आदेश जारी करेगी।

(7) (अ) ऐसे आवेदक जिनके पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति 12.01.2015 के पूर्व मंजूर की गई थी, तथा इस के नवीकरण के लिए आवेदन खनि रियायत नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन दिनांक 10.02.2015 के पूर्व प्रस्तुत कर दिया गया है तो ऐसे आवेदनों की संवीक्षा तत्समय प्रचलित खनि रियायत नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन की जाएगी। यदि आवेदक पात्र पाया जाता है, तो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का नवीकरण हेतु आवेदित कालावधि के लिए किया जाएगा।

(ब) उन आवेदकों के लिए जिनके पक्ष में दिनांक 12.01.2015 के पूर्व पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत थी तथा उसकी कालावधि दिनांक 10.02.2015 के पूर्व अथवा पश्चात् निरंतर थी। ऐसे आवेदक, अधिसूचना की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर प्ररूप चौबीस में इसके नवीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

(स) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु, ऐसे प्राप्त आवेदन का निपटारा आवेदन की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर किया जाएगा। यदि आवेदन का निपटारा इस कालावधि में नहीं किया जाता है तो अनुज्ञप्ति का नवीकरण आवेदित कालावधि अथवा दो वर्ष के लिए, जो भी कम हो, किया गया समझा जाएगा।

(द) नवीकरण के समय, राज्य सरकार अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से तथा आवेदक को सूचित करते हुए आवेदित क्षेत्र को कम कर सकेगी या आवेदन रद्द कर सकेगी।

(8) स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति एवं उत्खननपट्टा इन नियमों के अध्यधीन रहते हुए, अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उनमें किए गए संशोधन के अधीन होंगे।

3. नियम 22 में, उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"(3) अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट खनिज हेतु कालावधि.-

(क) **पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का नवीकरण.-** दिनांक 10.02.2015 के पूर्व स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का नवीकरण दो वर्ष की कालावधि हेतु किया जाएगा।

(ख) **उत्खननपट्टा.-** उत्खननपट्टा की अधिकतम कालावधि 30 वर्ष होगी। अनुसूची - पांच में विनिर्दिष्ट खनिज की, दिनांक 10.02.2015 या इसके पूर्व स्वीकृत एवं अनुबंधित खनिपट्टा की कालावधि 30 वर्ष अथवा नवीकृत कालावधि तक अथवा 31 मार्च, 2025 तक जो भी बाद में हो, समझी जाएगी। इस कालावधि की समाप्ति के पश्चात् इन उत्खननपट्टा का निवर्तन राज्य सरकार द्वारा विहित नीलामी प्रक्रिया से किया जाएगा।"।

4. नियम 26 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"26-क. अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट खनिज की खनि रियायतों के अनुबंध का निष्पादन.-

(1) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति नवीकरण के अनुबंध का निष्पादन प्ररूप-सत्ताईस में स्वीकृति आदेश की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर किया जाएगा। अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से राज्य सरकार द्वारा अनुबंध निष्पादन हेतु कालावधि में वृद्धि की जा सकेगी।

(2) उत्खननपट्टा का अनुबंध प्ररूप-सात में स्वीकृति आदेश की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर किया जाएगा। अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से राज्य सरकार द्वारा अनुबंध निष्पादन हेतु कालावधि में वृद्धि की जा सकेगी।

(3) इस प्रकार निष्पादित किए गए अनुबंध का रजिस्ट्रीकरण कराया जाएगा।"।

5. नियम 29 में उप-नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(8) अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट खनिज हेतु अनिवार्य भाटक एवं रॉयल्टी की दर वही होगी, जो कि, दिनांक 10.02.2015 को इन खनिजों की मुख्य खनिज के रूप में प्रचलित थी। इसके संशोधन के लिए उप-नियम (5) के उपबंध लागू होंगे।"।

6. अनुसूची चार के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाए, अर्थात्:-

अनुसूची-पांच

(नियम 6-क देखिए)

क्रमांक	**खनिज**
(1)	**(2)**
एक.	अगेट
दो.	बॉल क्ले
तीन.	बैराइट्स
चार.	कैल्केरियस सैण्ड
पांच.	कैल्साइट
छह.	चॉक
सात.	चिनी मिट्टी
आठ.	अन्य क्ले
नौ.	कोरण्डम
दस.	डायस्पोर
ग्यारह.	डोलोमाइट
बारह.	डयुनाइट अथवा पायरोसेनाइट
तेरह.	फेलसाइट
चौदह.	फेल्सपार
पंद्रह.	अग्निसह मृत्तिका
सोलह.	फुस्काइट क्वार्टजाइट

सत्रह.	जिप्सम
अठारह.	जस्पर
उन्नीस.	कयोलिन
बीस.	लेटेराइट
इक्कीस.	चूना कंकड
बाईस.	अभ्रक
तेईस	ऑकर
चौबीस.	पाइरोफाइलाइट
पच्चीस.	क्वार्टज
छब्बीस.	क्वार्टजाइट
सत्ताईस.	बालू (अन्य)
अठाईस.	शेल
उन्तीस.	सिलिका बालू
तीस.	स्लेट
इकतीस.	स्टोटाइट् अथवा टैल्क अथवा सोपस्टोन

No. F-19-3-2017-XII-1.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957 (67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Minor Mineral Rule, 1996, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 3, clause (i), the words "but not by the process of manufacture in kilns or by any mechanical means" shall be deleted.

2. After rule 6, the following rule shall be added, namely:-

"6-A. Quarry Lease and Prospecting Licence for the mineral specified in Schedule - V.-

(1) Mineral concession of the minerals specified in Schedule - V, excluding the cases specified in sub-rule (2), shall be allotted by auction as prescribed.

(2) Disposal of cases of minerals specified in Schedule - V, shall be made as follows, namely :-

(a) Where before the date 12.01.2015, the reconnaissance Permit or Prospecting License being granted for these minerals has been executed, the permit holder or the licensee as the case may be, having obtained prospecting License, shall have a right for obtaining prospecting license for a quarry lease or quarry lease, in respect of that mineral in that land if the State Government is satisfied that the permit holder or the licensee, as the case may be,-

(i) has undertaken reconnaissance operations or prospecting operations, as the case may be, to establish the existence of mineral in that land, under United Nation Framework Classification (UNFC) minimum category 334 in permit, or minimum category 332 in license;

(ii) has not committed any breach of the terms and conditions of the then prevailing Mineral Concession Rules, 1960 or other applicable rules;

(iii) has not become ineligible under the provisions of the Act, as major mineral before or on the date 12.01.2015;

(iv) a Permit Holder or Licenssee, as the case may be,-

(a) whose, period of reconnaissance permit or prospecting license has been expired prior to the date 10.05.2014, but they have not submitted application of prospecting license or mining lease, as the case may be, by 10.05.2014 such permit holder or licensee shall be deemed to be ineligible for filing application;

(b) has not failed to submit application of prospecting license or quarry lease, as the case may be, within the period of three months from the date of notification, whose reconnaissance permit or prospecting license period has expired after date 10.05.2014 till the date of publication of this notification;

(c) who has submitted application for prospecting license or mining lease upto date of 09.02.2015;

(d) applicant whose period of reconnaissance permit or prospecting license, as the case may be, has expired after the date of publication of notification and has not failed to submit application within the period of three month.

(e) After the compliance of conditions prescribed in letter of intent issued by the State Government for mining lease on date 12.01.2015 or prior to it, quarry lease shall be sanctioned till the date 31.07.2019. After this date, such all applications shall deem to be ineligible.

(3) such applicant by whom the application for mining lease has been submitted under item (c) of sub-clause (iv) of clause (a) of sub-rule (2) and found eligible under sub-clause (i), (ii) and (iii) of clause (a) of sub-rule (2) the State Government shall issue letter of intent in favour to grant quarry lease. After compliance of conditions prescribed in Letter of Intent, the sanction order for the quarry lease shall be issued.

(4) Application for quarry lease under item (b) or item (d) of sub-clause (iv) of clause (a) of sub-rule (2) shall be submitted in Form-I and if found eligible under sub-clause (i), (ii) and (iii) of clause (a) of sub-rule (2) the State Government shall issue letter of intent to grant quarry lease in favour of the applicant. After compliance of conditions prescribed in letter of Intent, the sanction order for the quarry lease shall be issued.

(5) Such applicant, by whom the application for prospecting license has been submitted under item (c) of sub-clause (iv) of clause (a) of sub-rule (2) and if it is found eligible under sub-clause (i), (ii) and (iii) of clause (a) of sub-rule (2), the State Government shall issue sanction order for the prospecting licence.

(6) The application for prospecting license under item (b) or (d) of sub-clause (4) of clause (a) of sub-rule (2) shall be submitted in Form-XXII (a) and if it is found eligible under sub-clause (i), (ii) and (iii) of clause (a) of sub-rule (2), the State Government, shall issue sanction order for the prospecting licence in favour of the applicant.

(7) (a) For an applicant in whose favour prospecting licence was sanctioned prior to the date 12.01.2015, and the application of its renewal under the provisions of Mineral Concession Rules, 1960 has been submitted prior to the date of 10.02.2015. Scrutiny of the same shall be made under the provisions of the then prevailing Mineral Concession Rules, 1960. If the applicant is found eligible, then renewal of prospecting license shall be made for the period applied for renewal.

(b) For those applicants the prospecting license was sanctioned in their favour prior to date 12.01.2015 and its period was continued prior or after the date of 10.02.2015. Such applicants may submit an application for its renewal in Form-XXIV within the period of three months from the date of notification.

(c) Disposal of application of renewal of prospecting license so received shall be made within the period of three months from the date of application. If the disposal of application is not made within such a period, then license shall be deemed to be renewed for the period applied for renewal or for two years, whichever is less.

(d) At the time of renewal, the State Government may reduce the area applied, for reason to be recorded and to be informed to the applicant or may cancel application.

(8) The sanctioned prospecting license or quarry lease shall be subject to the conditions of these rules the Act and the rule made there under and the amendment made to them.

3. In rule 22, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:-

"(3) **Period for minerals specified in Schedule -V.-**

(a) **Renewal of Prospecting License.-** Renewal of prospecting license sanctioned prior to the date of 10.02.2015, shall be made for the period of two years.

(b) **Quarry Lease.-** The maximum period of quarry lease shall be 30 years. The period of Mining Lease of minerals specified in Schedule -V granted and executed on the date 10.02.2015 or prior to it shall be deemed executed to 30 years or the renewed period or upto 31st March, 2025, whichever is later. After the expiry of this period, disposal of these quarry lease shall be made by auction, by the procedure as prescribed by the State Government.".

4. After rule 26, the following rule shall be added, namely :-

"26-A. Execution of agreement of Mineral Concession of mineral specified in Schedule -V.-

(1) Agreement of renewal of prospecting license shall be executed in Form-XXVII within a period of three months from the date of sanction order. The period for execution of agreement may be extended by the State Government on the reasons to be recorded.

(2) Agreement of quarry lease shall be executed in Form-VII, within a period of three month from the date of sanction order. The period for execution of agreement may be extended by the State Government on the reasons to be recorded.

(3) Registration of agreement so executed, shall be made as per rules.".

5. In rule 29, for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(8) For the mineral specified in Schedule-V, the rate of dead rent and royalty shall be the same as prevailed on date 10.02.2015 for these minerals as major mineral. Provisions of sub-rule (5) shall be applicable for amendment of the same.".

6. After Schedule-IV, the following Schedule shall be added, namely :-

"SCHEDULE-V

(see rule 6-A)

S.No.	**Mineral**
(1)	**(2)**
1.	Agate
2.	Ball Clay
3.	Barytes
4.	Calcareous Sand
5.	Calcite
6.	Chalk
7.	China Clay
8.	Other Clay
9.	Corundum
10.	Diaspore
11.	Dolomite
12.	Dunite or Pyroxenite
13.	Felsite
14.	Felspar
15.	Fireclay
16.	Fuschite Quartzite
17.	Gypsum
18.	Jasper
19.	Kaolin
20.	Laterite

21.	Limekankar
22.	Mica
23.	Ochre
24.	Pyrophyllite
25.	Quartz
26.	Quartzite
27.	Sand (Other)
28.	Shale
29.	Silica Sand
30.	Slate
31	Steatite or Talc or Soapstone.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश कुमार श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.